संख्या-116/2015/1093/71-1-2015-जी-205/2007

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 22 मई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, आगरा में सर्जरी एवं एलाईड स्पेशिलिटी के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सर्जरी एवं एलाईड स्पेशिलिटी के निर्माण हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम यूनिट-8, आगरा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 07-07-2012 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 7864.62 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1755/71-1-12-जी-205/2007, दिनॉक 10-10-2012 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। पुनः वास्तविक कार्यक्षेत्र में हुई वृद्धि एवं लागत दरों को पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 22-01-15 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की संशोधित लागत रू0 8795.96 लाख अनुमोदित की गयी है।

2- उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सर्जरी एवं एलाईड स्पेशिलिटी के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 87,95,96,000/- (रू0 सत्तासी करोड़ पंचानबे लाख छियानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा ½अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 23,63,70,000/- (रू0 तेईस करोड़ तिरसठ लाख सत्तर हजार मात्र) मे सें रू0 6,00,00,000/- (रू0 छः करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते हैः-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
3- प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा-जनरेटर सेट का क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन का क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक हैा अतः उक्त कार्यमदों के क्रय हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा संबंधित कार्यमदों के विशिष्टि प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इनके विषय-विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय, जिसकी देखरेख में उक्त कार्यमदों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने हेतु महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि मानक मद "24-वृहद निर्माण कार्य" से स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

8- स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप् पर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-769/दस-2015, दिनॉक 21 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 116/2015/1093(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in